

वर्क

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 461

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

12/03/13

तारीख 12/03/13 से 14/05/13 तक

जिला - पटना

अनुमंडल- पटना सिटी

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०

48

/2013-2014

हल्का सं० 06

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहि												
10/3/13	<p>श्री/श्री मती <u>राजवहलम प्र० यादव</u> पिता/पति श्री/श्री मती <u>स्व० रामईश्वर राय</u> ग्राम <u>जातरी रोड</u> पो० <u>लाँचीपुरा</u> थाना <u>जुह</u> जिला <u>पटना</u> ने केवाला सं० <u>665</u> दिनांक <u>08/02/13</u> के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा का नाम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा(ए.-डि में)</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>खाना</u></td> <td><u>30</u></td> <td><u>162</u></td> <td><u>838</u></td> <td><u>02 कहर</u></td> <td><u>0-60</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदनु पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>20/03/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित अंचलधिकारी फतुहां।</p>	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान	<u>खाना</u>	<u>30</u>	<u>162</u>	<u>838</u>	<u>02 कहर</u>	<u>0-60</u>	<p>24/03/13</p>
मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान									
<u>खाना</u>	<u>30</u>	<u>162</u>	<u>838</u>	<u>02 कहर</u>	<u>0-60</u>									
14/05/13	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विकेता /प्रावस्कता /पूर्व विकेता/दानकर्ता <u>श्रीमती पार्वती देवी जी० सयन कुमर</u> के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०मा/आम,भू-दान,भू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सुचना एवं महाल पर आम सूचना निर्गत कर आपति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>14/05/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित अंचलधिकारी फतुहां।</p>	<p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>												

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं०.....०६..... दाखिल खारीज बाद सं०.....४८...../2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर क
गई कार्रवाई व
वारे में टिप्पण
तारीख सहित

14.05.13

अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विक्रेता/पुर्खरदाता/पूर्व विक्रेता) को निर्गत खास नोटिस तथा निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारिज की खारिज दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।